

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण कमांक 849 / 2014
संस्थित दिनांक 18.12.2014

म0प्र0 आबकारी विभाग वृत्त अंजड,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

कुसुमबाई पति स्व0 बाऊ,आयु 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम छापरी,थाना अंजड,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ

— श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक —

श्री एल0के0 जैन अधि0 ।

///निर्णय ///

(आज दिनांक 27.03.2018 को घोषित)

1. अभियुक्त कुसुमबाई पति स्व. बाऊ पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, उसने दिनांक 24.07.2014 को समय दोपहर 03:30 बजे,स्थान-ग्राम छापरी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक जरी केन में 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा रखे हुये पाये गये।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 24.07.2014 को गस्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर समयाभाव में आबकारी उप

निरीक्षक बगैर तलाशी वारंट के ग्राम छापरी में अभियुक्त के रिहायसी मकान पर उपस्थित होकर अपनी जामा तलाशी व स्टाफ की जामा तलाशी उसको देने के पश्चात् उसके मकान की विधिवत् तलाशी लेने पर अभियोग पत्र के कॉलम नं० 4 में वर्णित सामग्री बरामद की जिसकी विधिवत् जांच करने पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाया। मदिरा का मापन साथ मौजूद किट से करने पर 15 लीटर होना पाया। उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रख कर अभियुक्त ने म०प्र० आबकारी अधिनियम 1925 की धारा 34(1)(क) का अपराध किया। आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान, ने उसकी जामा तलाशी अभियुक्त को देकर अभियुक्त कुसुमबाई से 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर के जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त कुसुमबाई को गिरफ्तार कर का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, तत्पश्चात् आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ के अपराध क्रमांक 232/2014 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त कुसुमबाई के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त कुसुमबाई के विरुद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है और बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 24.07.2014 को दोपहर 03:30 बजे ग्राम कुसुमबाई ने अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक जरी केन में 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा रखी ? यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा ?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में जन्मौद (अ.सा.1), नानूराम (अ.सा.2), छतरसिंह (अ.सा.3) एवं आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान (अ.सा.4) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, जप्त शुदा दृव्य मदिरा की श्रेणी में आने वाला पदार्थ है। इस संबंध में विचार करने पर आबकारी उप निरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.4) ने अपने कथन में यह बताया है कि, उसने एक प्लास्टिक की जरी केन में लगभग 15 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ मिला था। जिसका साक्षी ने भौतिक,यांत्रिकी एवं रासायनिक परीक्षण किया था। जिसमें उक्त तरल पदार्थ परीक्षण करने पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था। उक्त साक्षी ने मौके से ही उक्त प्लास्टिक की 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी हुयी केन को जप्त किया था, जिसका पंचनामा प्र0पी0 2 का बनाया था,जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. बचाव पक्ष की ओर से मदिरा के संबंध में कोई चुनौती पूर्ण प्रतिपरीक्षण नहीं किया है। साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.4) एक वरिष्ठ आबकारी उप निरीक्षक है। जिन्हें शराब की जांच का अनुभव प्राप्त है। प्रत्येक दृव्य का रासायनिक परीक्षण किया जाना भी आवश्यक नहीं है। मदिरा के संबंध में आबकारी उप निरीक्षक जो कि, विशेषज्ञ भी है, के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत श्रीचंद बतरा विरुद्ध स्टैट ऑफ यू0पी0, ए0आई0आर0 1974 एस0सी0 639 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, एक आबकारी निरीक्षक जिसमें उसके सेवा काल में कई शराब के नमूनों की जांच की होती है,व शराब जांच के बारे में धारा 45 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थों में विशेषज्ञ साक्षी होता है।

8. इस संबंध में न्यायदृष्टांत सुखलाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1995 सी0आर0एल0जे0 1234,कालु खान विरुद्ध स्टैट ऑफ एम0पी0,1980 जे0एल0जे0 508,रामदयाल विरुद्ध स्टैट ऑफ एम0पी0 1987 जे0एल0जे0 131, सुनिल तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य,2009 (1) एम0पी0डब्ल्यू0 एम0 60 भी अवलोकनीय है जिसमें सारतः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि,यदि आबकारी निरीक्षक ने शराब की भौतिक जांच करके प्रतिवेदन दिया है तो वह पर्याप्त हैं।

9. साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.4) ने उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा का भौतिक,यांत्रिकी परीक्षण किया था। अतः उपरोक्त विवेचना व न्यायदृष्टांत के आलोक में अभियोजन ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि, जप्तशुदा दृव्य मदिरा की श्रेणी में आने वाला पदार्थ है।

10. अब यह विचार किया जाना है कि,क्या जप्तशुदा मदिरा अभियुक्त

के ज्ञानयुक्त आधिपत्य से बरामद की गयी है। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.4) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 24.07.2014 को आबकारी वृत्त अंजड पर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह स्टॉफ व फोर्स के साथ गस्त पर था तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि, ग्राम छापरी में अभियुक्त कुसुमबाई के रिहायसी मकान में अवैध हाथ भट्टी की मदिरा रखी हुई है। सूचना पर विश्वास कर वह फोर्स के साथ ग्राम छापरी में अभियुक्त कुसुमबाई के रिहायसी मकान पर गया था तथा उसने साक्षीगण जनमौद एवं नानुराम को मौके से ही तलब किया था तथा मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था, व साक्ष्य हेतु सहयोग मांगा था तो उन्होंने अपनी सहमति दी थी। उक्त साक्षी के द्वारा कुसुमबाई के मकान के सामने खड़े होकर आवाज दी थी, तब अभियुक्त कुसुमबाई बाहर आयी थी। उसने अभियुक्त के घर की तलाशी लेने का बोला था, मुखबिर की सूचना से उसे अवगत कराया था। उसने अपनी जामा तलाशी के संबंध में प्र0पी0 1 का पंचनामा बनाया था। जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.4) के द्वारा अभियुक्त कुसुमबाई के मकान की तलाशी ली थी, तब अभियुक्त के आधिपत्य के मकान के अंदर से उसके कब्जे में एक जरी/प्लास्टिक केन में लगभग 15 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ मिला था जिसका उसने भौतिक, यांत्रिकी एवं रासायनिक परीक्षण किया था। जिसमें उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था। उसने मौके से ही उक्त प्लास्टिक की 15 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा को जप्त किया गया था, जिसका पंचनामा प्र0पी0 2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसके द्वारा मौके से अवैध मदिरा भरी हुई प्लास्टिक की केन जप्त की गई थी वह आर्टिकल ए है। उसके द्वारा अभियुक्त कुसुमबाई को मौके से ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, व मौके पर ही उसने साक्षी जनमौद व नानुराम के कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक 26.07.2014 को कार्यालय के पत्र क्रमांक क्यु/2014 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत छापरी से जिस मकान से अवैध मदिरा जप्त की गयी थी। उसके स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में प्र0पी0 6 का पत्र भेजा था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 07.11.2014 को ग्राम पंचायत छापरी से उक्त मकान के संबंध में प्र0पी0 7 का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उक्त मकान आरोपी कुसुमबाई का ही होने के संबंध में लेख किया गया।

12. उक्त साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, जिस स्थान पर कार्यवाही की गयी थी, उस स्थान पर कार्यवाही करते समय सरपंच उपस्थित नहीं था । सरपंच से दिनांक 26.07.2014 को मकान के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। दिनांक 07.11.2014 के पूर्व कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा सरपंच को दिनांक 26.07.2014 का पत्र दिनांक 07.11.2014 को दिया था। यह भी स्वीकार किया है कि, जप्त शुदा पदार्थ की कोई निश्चित मात्रा नहीं लिखी है, वह जिस प्रकार का प्लास्टिक केन न्यायालय में जमा किया गया है वैसा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जप्तशुदा प्लास्टिक केन पर पहचान चिन्ह होने के संबंध में जप्ती पंचनामों में उल्लेख नहीं किया गया है।

13. जप्ती साक्षी जनमौद (अ.सा.1) व नानुराम (अ.सा.2) जिन्हें जप्ती पंचनामा प्र0पी0 2, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 व जामा तलाशी पंचनामा प्र0पी0 1 का साक्षी बनाया गया है। जनमौद (अ.सा.1) ने आबकारी उप निरीक्षक नफीस एहमद खान (अ. सा.4) के कथनों का ही समर्थन नहीं किया है। साक्षी नानुराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, घटना कब की है, उसे नहीं मालूम व किसी भी व्यक्ति ने उसके सामने आरोपी के मकान से कोई भी वस्तु जप्त नहीं की थी। जामा तलाशी पंचनामा, जप्ती पंचनामा व गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर किये होना बताया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछने वाले प्रश्न पूछने पर यह अस्वीकार किया है कि, मकान के अंदर 15 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा की एक प्लास्टिक केन रखी हुयी है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया है कि, उसके सामने कुसुमबाई से कोई मदिरा जप्त नहीं हुयी थी। उसने मदिरा जप्ती के पंचनामों पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये है, व आबकारी विभाग वालों ने अभियुक्त कुसुमबाई के घर से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने जप्ती का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है और उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी के विपरित कथन किये है।

14. साक्षी छतरसिंह (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, वह दिनांक 07.11.2014 को ग्राम पंचायत छापरी का निर्वाचित सरपंच था, उक्त दिनांक को उसे कार्यालय आबकारी उप निरीक्षक वृत्त अंजड जिला बडवानी का पत्र क्रमांक क्यु/14 अभियुक्त श्रीमती कुसुमबाई पति बाउ निवासी छापरी के माकन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त हुआ था, जो प्र.पी. 6 का है, उनके द्वारा उक्त

दिनांक को ही कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत ठीकरी के पत्र क्रमांक क्यु/14 के अनुसार आबकारी विभाग अंजड को अभियुक्त कुसुमबाई के निवास स्थान के संबंध में प्रमाण पत्र दिया था, जिसमें अभियुक्त का मकान भवन कर रजिस्टर के क्रमांक 29 पर अभियुक्त के नाम से मकान दर्ज होने तथा जहां पर कार्यवाही की गयी थी, उक्त मकान अभियुक्त का ही होने के संबंध में दिया था, जो प्र0पी0 7 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

15. उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, दिनांक 26.07.2014 का पत्र प्र0प्र0 6 उसे दिनांक 07.11.2014 को प्राप्त हुआ था। उसे पत्र देने के लिये आबकारी आया था। उक्त पत्र के आधार पर प्र0पी0 7 का प्रमाण पत्र सचिव से बनवाया था, व प्र0पी0 7 में लिखी हुयी इबारत उक्त साक्षी के हस्तलेख में नहीं है, व उक्त साक्षी के द्वारा प्रमाण पत्र के साथ भवन कर रजिस्टर की कोई फोटो प्रति नहीं दी है एवं शराब जप्ती की कार्यवाही भी उसके सामने नहीं हुयी एवं उसे नहीं पता कि, शराब किसके यहां से जप्त हुयी व प्र0पी0 7 के प्रमाण पत्र में लिखी हुयी बात प्र0पी0 6 के आबकारी उप निरीक्षक के पत्र के आधार पर लिखी है।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, जप्ती साक्षीगण के द्वारा जप्ती का समर्थन नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि, मकान में से शराब जप्त किया जाना बताया गया है, किन्तु कोई सर्च वारंट नहीं दिया गया है, और ना ही कोई मेमोरेण्डम बनाया गया। मकान की मालकियत के संबंध में ग्राम पंचायत छापरी के सरपंच द्वारा ही निवास स्थान के संबंध में जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वह सचिव द्वारा बनवाया गया था, व उसमें लिखी हुई इबारत सरपंच के हस्तलेख में नहीं है व प्रमाण पत्र के साथ भवन कर रजिस्टर की कोई फोटो प्रति पेश नहीं की है।

17. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध प्रमाणित किया है। परस्पर विरोधी तर्कों के प्रकाश में साक्षीगणों के कथनों का समग्र परिशीलन करने पर यह सही है कि, स्वतंत्र जप्ती साक्षीगण के द्वारा जप्ती का समर्थन नहीं किया है।

18. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के मकान से शराब बरामद किया जाना

बताया हैं। मकान में प्रवेश करने के पूर्व कोई सर्च वारंट नहीं लिया गया हैं। यद्यपि सर्च वारंट भी लिया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु सर्च वारंट नहीं लिये जाने के कारणों का मेमोरेण्डम अवश्य तैयार किया जाना चाहिये। जिसका कि, प्रस्तुत प्रकरण में अभाव है।

19. जिस मकान से मदिरा जप्त किया जाना बताया गया है। उसकी मालकीयत के संबंध में जो प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जारी किया जाना बताया है, व उसके संबंध में सरपंच छतरसिंह (अ.सा.3) के भी कथन कराये हैं। जिसमें उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उक्त प्रमाण पत्र सचिव से बनावाया गया था, व प्रमाण पत्र के साथ भवन कर रजिस्टर की कोई फोटो प्रति नहीं दी है, व उसके सामने से शराब की जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि, शराब कब किसके यहां से जप्त हुयी है उसे नही नहीं मालूम घटना दिनांक 24.07.2014 की है व आबकारी उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.07.2014 को सरपंच को पत्र प्रेषित किया था, व सरपंच द्वारा दिनांक 07.11.2014 को आरोपी कुसुमबाई की मालकीयत के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया था। लगभग 4 माह पश्चात् सरपंच के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस कारण वह भी संदग्धता की श्रेणी में आता है, व इस आधार पर साक्षी छतरसिंह (अ.सा.3) के कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अतः उक्त साक्षी के कथनों के परिशीलन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि, अभियुक्त के मालकीयत के मकान से ही जप्ती हुयी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा भी साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.4) के कथनों का समर्थन नहीं किया है। अतः जिस स्थान से मदिरा बरामद की गयी है। वह अभियुक्त का ही मकान था। यह अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है।

20. अतः जप्ती की कार्यवाही संदेहस्पद होने से अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र हो गया है।

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा एक केन में हाथ भट्टी मदिरा कुल 15 लीटर अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

//8//

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 849/2014
संस्थित दिनांक 18.12.2014

23. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में कोई भी अवधि व्यतित नहीं की गयी है।
अतः धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र निरंक बनाया जावे। जो निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/—

सही/—

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी म0प्र0